



भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244661

CG-DL-E-24032023-244661

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945

No. 1365]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

का.आ. 1418(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के खंड 3 के खंड (का) द्वारा प्रदत्त के अभ्यास में, इसके द्वारा मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है परिवहन और राजमार्ग ने का.आ. 5036(अ) दिनांक 26 अक्टूबर 2022.

उक्त अधिसूचनाओं की अनुसूची में (i) गांव का नाम से संबंधित कॉलम (7) के सामने पूर्वी रामनपल्ले, लिंगमपल्ली, चेक्की, बेल्ला तरफ़ा (बोधन रूरल) के स्थान पर "रणमपल्ले, लिंगमपल्ले, चेक्की तरफ़ा, बेलाल तरफ़ा" के रूप में प्रतिरूपापित किया जाएगा और (ii) स्ट्रेच से संबंधित कॉलम (3) के सामने पूर्वी "किमी. 0.000 से किमी. 15.000" तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, बांसवाड़ा) किमी. 15.000 से किमी. 39.000 तक के स्थान पर "किमी. 0.000 से किमी. 12.050 तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, बांसवाड़ा), तथा "किमी. 13.620 से किमी. 39.032" तक (रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर, बोधन) के रूप में प्रतिरूपापित किया जाएगा. आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरणों के कार्यों को करने के लिए तेलंगाना राज्य में NH-161BB के पेव्ड शोल्डर के साथ 2/4 लेन के उन्नयन की परियोजना के लिए।

तेलंगाना राज्य में NH-161BB के मदनूर-रुद्र-बोधन सेक्शन के लिए गांव और खंड के नाम में परिवर्तन।

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 3A में गांव के नामों की वर्तनी 3a राजपत्र अधिसूचना की तुलना में भिन्न है।

गांव के नाम से संबंधित प्रतिस्थापित किया जाना है

[फा. सं. EE/NHP/EPC/NH-161BB/MRB/Kmr/2022-23/351]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd March, 2023

S.O. 1418(E).—In Exercise of powers conferred by clause (A) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the Gazette Notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published vide **S.O. No.5036(E) dated on 26-10-2022.**

In the Schedule to the said Notifications (i) against column(7) relating to the Name of the Village shall be substituted as "**Ranampalle, Lingampalle, Chekki Tarfa, Bellal Tarfa**" in place of Ramanpalle, Lingampally, Chekki, Bella Tarfa (Bodhan Rural) and (ii) against column(3) relating to Stretch shall be substituted as "**0.000 km to 12.050 km**" (Revenue Divisional officer, Banswada). "**13.620 km to 39.032 km**" (Revenue Divisional officer, Bodhan).

In place of 0.000 km to 15.000 km (Revenue Divisional officer, Banswada), 15.000 km to 39.000 km (Revenue Divisional officer, Bodhan). for the project of **up-gradation to 2/4 laning with paved shoulders of NH-161BB in the State of TELANGANA** to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Change of Name of the village and Stretch for Section NH-161BB in the state of Telangana.

Due to the spellings of village Names in 3A submitted by CALA is different in comparison with the 3a Gazette notification.

relating to Name of the Village shall be substituted

[F. No. EE/NHP/EPC/NH-161BB/MRB/Kmr/2022-23/351]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.